ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(9)

आर0ई0आर0– 230 / 16–17

जर्नादन पासवान बनाम् अरविन्द झा

13.10.17

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

आवेदक जर्नादन पासवान, पे0–स्व0 किशन हाजरा, सा0–बेलटिकरी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा ने मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267, कुल रकवा– 00–01–00 धूर भूमि से विपक्षी अरविन्द झा, पे0–स्व0 जगदीश झा, सा0–बेलटिकरी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर है। जमाबंदी नं0– 13 के अंदर विगत सर्वे में जंगली हाजरा, पे0– जहुरी हाजरा का नाम गेंजर सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के वंशज से आते हैं। जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा अपने चार पुत्र को छोड़कर मर गये। जंगली हाजरा के बड़े पुत्र किशन हाजरा को तीन पुत्र कमशः (1) विलाश पासवान, (2) जर्नादन पासवान एवं (3) मनोज पासवान को छोड़कर मर गये। विलाश पासवान भी नावल्द मर गये।

जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के वारिशान ने अपने पैतृक सम्पत्ति को आपस में बांट लिया। उक्त बटवारा में आवेदक हिस्से में मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267, कुल रकवा– 00–01–00 धूर भूमि मिला। उक्त भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि खाली पड़ा हुआ है। आवेदक ने उक्त खाली भूमि को घेरने के लिए नींव खोदना प्रारंभ किया तो विपक्षी ने आकर मनाकर दिया एवं कहा कि यह जमीन उनका है। उक्त भूमि आवेदक का पैतृक जमीन है। विपक्षी का उक्त विवादित भूमि पर दावा करना गैर कानूनी है। क्योंकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के अनुसार जमीन किसी भी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। आवेदक गरीब व्यक्ति है तथा हरिजन जाति का है। विपक्षी दबंग व्यक्ति हैं तथा उक्त भूमि को घेरने का प्रयास कर रहे हैं।

अंत में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267 गेंजर सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा के कैफियत खाना में मकानमय सहन कहकर दर्ज है। गेंजर सेटलमेन्ट के खतियान से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मकानमय सहन है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड WP(c) सं0–3771–2002 में उच्छेद के संबंध में जो तथ्य अंकित किये हैं उसके आलोक में इस वाद में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि मकानमय सहन कहकर दर्ज है, जिसे जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के पुत्र हरिचरण हाजरा एवं चुनचुन हाजरा ने अपने पिता के श्राद्धकर्म में दान के क्रम में बसोवास हेतु कुर्फानामा के माध्यम से दिनांक–30.01.1937 को किया था। चुनचुन हाजरा के मृत्यु के बाद मो0 जया देवी ने दूसरी शादी हरिचरण हाजरा से किया था। उक्त 01 कट्ठा भूमि की विपक्षी को प्राप्त हुआ है, जिसपर आवेदक का कोई दखल कब्जा कभी नहीं रहा तथा यह इन्टरभेनर मो0 जया देवी के द्वारा लिखित रूप से दिया गया है।

विवादित भूमि जो गेंजर सेटलमेन्ट के पर्चा में मकानमय सहन के रूप में दर्ज है, जिसका कुल रकवा– 00–02–05 धूर है, उक्त रकवा में से 01 कट्ठा जमीन पर प्रकिया शुरू किया गया है। जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के पुत्र हरिचरण हाजरा एवं चुनचुन हाजरा ने अपने हिस्से में से विपक्षी के पिता जगदीश झा को अपने पिता के श्राद्धकर्म में बसोवास हेतु पुरोहित को दिनांक–30.01.1937 को उक्त विवादित भूमि दान में दिया था। इस संबंध में कुर्फा भी लिया लिया गया है। जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के द्वितीय पुत्र चुनचुन हाजरा की शादी मो0 जया देवी से हुआ था, जो उक्त वाद में ईन्टरभेनर है। चुनचुन हाजरा का असमय मृत्यु हो जाने के कारण मो0 जया देवी ने दूसरी शादी जमाबंदी रैयत के तीसरे पुत्र हरिचरण पासवान से किया है। उक्त 01 कट्ठा भ्झूमि जया देवी के पति द्वारा अपने हिस्से में से दान में देने के कारण मो0 जया देवी के हिस्से में कम है। अतः भूमि आवेदक जर्नादन पासवान के हिस्से में नहीं घटा है, बल्कि जया देवी के हिस्से से घटा है।

मध्यस्थ, जया देवी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त प्रकिया संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत भूमि गेंजर पर्चा के कैफियत में मकानमय कहकर दर्ज है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् कृषि भूमि पर से अवैध कब्जा को उच्छेद करने का प्रावधान है, परन्तु मकानमय सहन नहीं है। प्रश्नगत भूमि मौजा– बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267 में से 01 कट्ठा जमीन मकानमय सहन है, जो मध्यस्थ पक्षकार के पति ने जमाबंदी रैयत जंगली हाजरा के श्राद्धकर्म के अवसर पर अपने हिस्से में से कुल एक कट्ठा जमीन पुरोहित जगदीश झा (विपक्षी) को 1937 ई0 में दिया है।1937 ई0 में उक्त मकानमय सहन दान में प्राप्त कर विपक्षी सपरिवार आजतक बसोवास करते आ रहे हैं। साथ ही बताते हैं कि आवेदक जर्नादन पासवान ने बईमानीपूर्ण नियत से यह मुकदमा दायर किया है। जबकि उक्त विवादित जमीन जर्नादन पासवान के पिता के हिससे में नहीं था, बल्कि मो0 जया देवी के पति के हिस्से में था। इसी कारण मो0 जया देवी के पति का पैतृक जमीन है, जे कि 01 कट्ठा जमीन कम हिस्सा मिला है। विपक्षी 1937 ई0 से उक्त भूमि पर दखलकार एवं हकदार है। विपक्षी का 1937 ई0 में जमीन प्राप्त करने का कुर्फा भी बना है। इस संदर्भ में गांव में पंचायती भी हुई थी, जिसमें अरविन्द झा को 01 कट्ठा जमीन श्राद्धकर्म में देने की पुष्टि की गई है।

चूंकि आवेदक जर्नादन पासवान को उक्त जमीन वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त जमीन मो0 जया देवी के पति के हिस्से का विपक्षी को दान में दिया गया है। अंत में मध्यस्थ पक्षकार मो0 जया देवी के विज्ञ

10

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267, कुल रकवा– 00–01–00 धूर भूमि विगत सर्वे में खतियान के अनुसार जंगली हाजरा वल्द जोहुरी हाजरा, कौम–दुसाद के नाम से दर्ज है।विपक्षी द्वारा कुर्फानामा के आधार पर उक्त भूमि को प्राप्त करने की बात कही गई है तथा उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है। उक्त छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कुर्फानामा निबंधित नहीं है। प्रथम दृष्टया विपक्षी द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जमाबंदी नं0–13, बेलटिकरी सं0–600 के रैयती भूमि पर अवैध दखल का मामला स्पष्ट है। साथ ही विवादित भूमि में आवेदक तथा इन्टरभेनर किसके हिस्से की है, यह स्पष्ट नहीं होता है। JLRJ 2009 (4) के कंडिका–9 के अनुसार .... But transfer in disguised from and collusive manner continue which will be clear from the notice of the Mac Person to the settlement report of the Santhal Pargana wherein he warns any disguised transfer. His note was accepted by the government and the result was the amendment of the Regulation by which initially section 27 was inducted followed by section 20(1) of the Santhal Pargana Act. 1949. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् रैयती भूमि के हस्तांतरण पर रोक है। साथ ही विगत सर्वे के Record of Rights के तहत् भी रैयत को इस प्रकार की भूमि के हस्तांतरण का अधिकार नहीं था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा–बेलटिकरी नं0–600, जमाबंदी नं0–13 के अंदर दाग नं0–267, कुल रकवा– 00–01–00 धूर भूमि से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को निदेशित किया जाता है कि जमाबंदी रैयत के वंशजों को दखल दिहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित।

13.10.17
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

13.10.17
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen 13.10.17

Seen 13/10/17

28.03.19

अभिलेख उपस्थापित।

प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा गोड्डा के ज्ञापांक– 131/विधि, दिनांक 08.03.19 के द्वारा उपायुक्त गोड्डा के आर० एम० ए० नं०– 57/2018-19 के क्रम में अभिलेख की मांग की गयी है।

आ०: अभिलेख भेजें।

28/3/19
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:25:18 +05:30
Location: 192.168.1.51